


30.5.18

~~पुणे के~~
~~राज्य के~~
~~वाणिज्य~~
20.5.18

पजावली राजस्व कैम्प व्याप आर्पके डार ग्रामोंद्व
से पैसा दुई, जहां अखिवक्ता वरिष्ठा से सर्व से प्रस्तुत
शार्पना पज रिजॉक्ट २३.५.१८ के आधार पर कैलतर कावनी
अनुलोष जाति की इजाजत के साथ ताद पज श्वारिज भवना
याहा। अतः वादिष्ठा का शार्पना पज अन्तर्गत आदेश
२३ सिविल प्रक्रिया संहिता रिजॉक्ट २३.५.१८ स्वीकार किया
आकर वादिष्ठा को उचित कावनी अनुलोष जाति की इजाजत
के साथ यह ताद पज श्वारिज क्रिया जाता है।
पजावली फ्रैन्साज शुभाष होकर श्वारिज कादिक् है।



उपखण्ड
शंकर निवास